संख्या-13 /2016/63/1-4--2016-1 बी-4/16

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ0 प्र0,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2016**

विषयः-अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर -093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में आय-व्ययक में प्राविधिनित धनराशि के सापेक्ष **रू0-7,32,88,00,000/- (रूपये सात अरब बत्तीस करोड. अठ्ठासी लाख मात्र)** की धनराशि मतदेय पक्ष में एवं रू0-15,00,000/- **(रूपये पन्द्रह लाख मात्र)** की धनराशि भारित मद में जिसका मदवार विवरण निम्नलिखित है, को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-:

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2016-16 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि**
01-वेतन	2710000	2710000
02-मजदूरी	8000	8000
03-मंहगायी भत्ता	3685600	3685600
04-यात्रा व्यय	20000	20000
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	9000	9000
06-अन्य भत्ते	150000	150000
08-कार्यालय व्यय	120000	120000
09-विद्युत देय	150000	150000
10-जलकर/जलप्रभार	3000	3000
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25000	25000
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15000	15000
13-टेलीफोन पर व्यय	22500	22500
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	340000	340000
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1200	1200

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1500	1500
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	9000	9000
42-अन्य व्यय (मतदेय) (भारित)	1000 1500	1000 1500
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	2000	2000
45-अवकाश यात्रा व्यय	1000	1000
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10000	10000
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	10000	10000
49-चिकित्सा व्यय	30000	30000
51-वर्दी व्यय	5000	5000
योग-03 (मतदेय) (भारित)	7328800 (रूपये सात अरब बत्तीस करोड. अठ्ठासी लाख मात्र) 1500 (रूपये पन्द्रह लाख मात्र)	7328800 (रूपये सात अरब बत्तीस करोड. अठ्ठासी लाख मात्र) 1500 (रूपये पन्द्रह लाख मात्र)

2- उक्त धनराशि प्रदेश के समस्त जनपदों को विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत आवंटित करने हेतु आपके निर्वतन पर रखी जाती है

3- उक्त आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय न किया जाय। साथ ही साथ मदों के क्रियान्वयन में व्यय हेतु धन आवंटित करते समय व्यय स्वीकृत धनराशि की भीतर ही सीमित रखा जाय और बजट मैनुअल में निहित वित्तीय निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्ड्बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में दिये गये प्राविधानानुसार किये जाने वाला व्यय कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इस संबंध में बी0एम0-13 प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह सूचना दो प्रतियों मे शासन को अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

6- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना के अधीन सुसंगत मदो व प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-13/2016 /63(1) /1-4-16-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परिक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
5- राजस्व अनुभाग-6
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।